


गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/17 को पेश हो।

तहसीलदार
रियांवडी
(तापौर - रायसाय)

940

15/12/17

शैलानन्द



क.वि. मोहर

01/12/2017 पत्रावली पेश हो गैर सामान्य की श्रेणी
के शैलानन्द, पत्रावली पुस्तक भेदक रसत की ग
वास्तव निर काम्पे 191 300 रु गिरदासी
हू। पत्रावली का क्षेत्र लोका किम है श्रेणी
के विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली का
काम्पे 191 के माँत्रा काम्पे 191 के रूप में
940 रकबा 0.02 हे० किम भूमि के मु. नदर
पर सम्बन्ध 2014 में गिरदासी श्रेणी मोहर
के भेदक रसत जहाँ वास्तव निर काम्पे 191 के
विषय शत्रुकीय भूमि के मु. नदर पर अन्विष्ट 190
कम्पे के खण्ड में श्रेणी की रिपोर्ट पेश कि गई।
जिस पर इस शत्रुकीय के सत्रस प्रकरण की
कार गैर सामान्य के विषय एक दार 192/1956
की धारा 91 के अन्तर्गत गैर सामान्य किमोमि
गैर सामान्य श्रेणी मोहर 2014 के खण्ड
जहाँ गिरदासी हू। रकबा है। श्रेणी में
गिरदासी का शत्रुकीय भूमि के मु. नदर पर
वर्तिकाण होने से अन्विष्ट श्रेणी किम
जाकर शत्रुकीय भूमि के मु. नदर पर किम
गये वर्तिकाण को भी किम रूप से वे 1956

[Handwritten signature]

कच्चे बांसों के लगान का प्रयास जल्द शुरू किया गया।
04 | - (बांस लगाने का प्रयास) का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास शुरू
कामों को प्रारंभिक वेरिफिकेशन एवं प्रारंभिक सुधार
कार्य की वजह से प्रारंभिक वेरिफिकेशन एवं प्रारंभिक सुधार
कार्य की वजह से प्रारंभिक वेरिफिकेशन एवं प्रारंभिक सुधार
कार्य को प्रारंभिक वेरिफिकेशन एवं प्रारंभिक सुधार
कार्य को प्रारंभिक वेरिफिकेशन एवं प्रारंभिक सुधार

कार्य 2 घण्टे के भीतर पूरा होगा 29/12/2017
को शुरू किया गया है।

अधीक्षक, विभाग
(बांस - बांसवाड़ा)